



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2543]

No. 2543]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 2, 2013/कार्तिक 11, 1935

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 2, 2013/KARTIKA 11, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2013

सं. 7/2013

का.आ. 3314(अ).—केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से क्रमशः नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई की मौजूदा अवस्थितियों में तीन न्यायपीठों और क्रमशः चंडीगढ़, इलाहाबाद और हैदराबाद में तीन नई न्यायपीठों सहित सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सीस्टेट) की छह अतिरिक्त न्यायपीठों को सृजित करने के लिए अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 27/06/2007-प्रशा. 1ग (सीस्टेट)]

एम. एल. मीना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2013

No. 7/2013

S.O. 3314(E).—In exercise of the powers conferred under the Central Excise Act, 1944, the Customs Act, 1962 and chapter V of the Finance Act, 1994, the Central Government hereby notifies the creation of six additional benches of the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) including three at existing locations of New Delhi, Mumbai & Chennai respectively and three new benches at Chandigarh, Allahabad & Hyderabad respectively, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India (Extraordinary).

[F. No. 27/06/2007-Ad. IC (CESTAT)]

M. L. MEENA, Jt. Secy.